

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम-1948 के अन्तर्गत 59 अनुसूचित नियोजनों में देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत राजाज्ञा सं० 194/38-3-2314-01(एचएच०)/04, दिनांक 28.01.2014 द्वारा 59 अनुसूचित नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों हेतु मजदूरी की मूल दरों एवम् देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते का निर्धारण किया गया है। मजदूरी को जो दरें वार्षिक आधार पर निर्धारित की गयी हैं, उनकी दैनिक दर, मूल मजदूरी और परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते को 1/28 से क्रम तथा प्रति घण्टे दर, दैनिक दर का 1/8 से कम न होगी।

उक्त के अन्वये 59 नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार पर (2001=100) माह जुलाई, 2012 से दिसम्बर, 2012 के अर्थात् 218 अंकों के ऊपर जनवरी, 2015 से जून, 2015 के अर्थात् अंक 258 (पी सी एचएच) पर दिनांक 01.10.2015 से दिनांक 31.03.2016 तक परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता निम्नलिखित सूचना की भांति गणना करने देय होगा-

सूचना :- रुपये 5750.00 प्रतिमाह मजदूरी पाने वाले अकुशल श्रेणी के कर्मचारियों को अर्थात् उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 258 पर दिनांक 01.10.2015 से दिनांक 31.03.2016 तक देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता निम्न प्रकार देय होगा-

(258-218)

$$\times 5750 = \text{रु० } 1084.81 \text{ प्रतिमाह}$$

218

निम्न श्रेणी के कर्मचारियों को देय प्रति माह मूल मजदूरी, परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता, मासिक एवम् दैनिक मजदूरी की दरें निम्नवत् हैं-

क्र. सं.	श्रेणी	प्रतिमाह मूल मजदूरी (रुपये में)	प्रतिमाह परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता (रुपये में)		दिनांक 01.10.2015 से दिनांक 31.03.2016 तक	
			दिनांक 01.04.2016 से दिनांक 30.09.2015 तक	दिनांक 01.10.2015 से दिनांक 31.03.2016 तक	कुल मजदूरी (रुपये में)	दैनिक मजदूरी (रुपये में)
1	2	3	4	5	6	7
1	अकुशल	5750.00	984.95	1064.81	6814.81	202.11
2	अर्द्ध कुशल	6325.00	1083.45	1171.90	7496.30	208.32
3	कुशल	7085.00	1213.63	1312.04	8397.04	322.96

नियोजनों के नाम :-

1. रबर की विनिर्माणशाला और रबर उत्पाद (टापर और ट्यूब सहित) के उद्योग।
2. प्लास्टिक उद्योग और प्लास्टिक उत्पाद के उद्योग।
3. विधान उद्योग।
4. बसिन्स पेपे (रिपेटेड ड्रिक्स) के विनिर्माण।
5. काले के रस्ते की विनिर्माणशाला।
6. परावार लकड़ी (प्लाइवुड) के उद्योग।
7. पेद्रोस और डीजल आर्यल घण्टे।
8. डेरी और मिल्क डेरी।
9. शिप्टे सिंथेटिक कपड़ों की विनिर्माणशाला।
10. रॉय टखनवा के निर्माण और अनुकरण, सिन्हाई परियोजनाओं कुछों और तालाबों की खुदाई।
11. उन सम्पन् एजिक्ट्रिकल कारखानों में नियोजन, जिनका प्रारंभ पहले नहीं किया गया है।
12. प्राइवेट अस्पताल (गैरिंग होम्स) एवम् प्राइवेट क्लीनिकों और प्राइवेट काउन्सिलर क्षामना की दुकानों।
13. टलाई घर।
14. चाय उद्योग।
15. टिन प्लेट रोपिंग और टिन प्रिंटिंग।
16. ऐसे अधिव्ययन उद्योग जिसमें 50 से कम व्यक्ति नियोजित हैं।
17. धर्म शोभनशाला और धर्म विनिर्माण शाला।
18. धर्म वस्तु विनिर्माण उद्योग।
19. होजरी रकम।
20. निजी पुस्तकालय।
21. काष्ठ संकर्म और फर्नीचर उद्योग।
22. प्राइवेट कोचिंग कक्षाओं प्राइवेट विद्यालयों, जिनमें नर्सरी स्कूल और निजी प्रारंभिक साधनों भी सम्मिलित हैं।
23. दम्भाकू विनिर्माण।
24. धर्मशाला।
25. बाणेशी (गैरस्ट्री) लकड़ा बनाने और काष्ठ कार्य, जिसके अन्तर्गत किसी अन्य वस्तु उत्पादन का संग्रहण और उसे मण्टी में ले जाया भी है।
26. दुकान।
27. कणिक्य अधिव्ययन।
28. बांधल मिल, आटा मिल या दाल मिल।
29. तेल मिल।
30. लोड मोटर परिवहन।
31. यात्रिक परिवहन कर्मशाला।
32. अटोमोबाइल रिपैरिंग कर्मशाला।
33. सड़कों के निर्माण या उन्हें बनाये रखने या निर्माण साधनाओं।

श्री बिहल

29-09-2015

34. पम्पर लोडिंग या पम्पर कूटने।
35. चिह्नन के कार्य।
36. दिवालसलाई उद्योग।
37. आइसक्रीम/ आइस्क्रीम विनिर्माणशाला।
38. बेकरी और डिस्क्रुट विनिर्माणशाला।
39. चर्च विनिर्माणशाला।
40. एलेस्टस सीमेन्ट कारखानों और अन्य सीमेन्ट उत्पाद विनिर्माणशाला।
41. लाण्ट्री और मुलाई अधिष्ठान।
42. जित्यसारी।
43. कोल्ड स्टोरेज।
44. पाठरी, सिनिबन्स या रिडीक्रीज।
45. निजी पुस्तकालय।
46. शिल्पा उद्योग।
47. कपड़ा छपाई।
48. शिलाई उद्योग।
49. एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, सूनानी कार्मनी।
50. क्लब।
51. इथकरषा (शिल्क की सारी की बुनई) जरी के कार्य।
52. कपड़ा धोने या प्रसाधन के साबुन या सिलिकेट या साबुन का घूर्ण या प्रशालक विनिर्माण।
53. ऊनी कम्बल बनाने के अधिष्ठान।
54. छाण्डसारी।
55. हथकरषा उद्योग।
56. शक्ति बालित करषा उद्योग।
57. छोटा (मिन्टिचर) हल्व एरम् कोंच उत्पादों के निर्माण।
58. कागज, गला और पेपर बोर्ड उद्योग।
59. ईट गत्का उद्योग।

(ए०के० गुप्ता)

उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश,
कृते श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

कार्यालय श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश, जी० टी० रोड, कानपुर।

पत्र सं०- 2727-55/प्रवर्तन०-(एम०डब्लू०) / 15
प्रतिलिपि-

दिनांक 24-9-2016

1. समस्त क्षेत्रीय अपर / उप श्रम आयुक्त, उ०प्र०, को इस आशय से प्रेषित कि अधीनस्थ अधिकारियों को जयगत काराये तथा श्रमिकों, सेवाचोखकों व उनके प्रतिनिधियों द्वारा मॉगे जाने पर उपलब्ध कराएँ।
2. अनुसंधिब उ०प्र० शासन, श्रम अनुभाग-3, लखनऊ।
3. सहायक निदेशक, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (बैज सेल) भारत सरकार नई दिल्ली को ई-मेल wagecell@nic.in के माध्यम से।
4. अधिशास्त्री निदेशक उद्योग बंधु लखनऊ।
5. अपर श्रमायुक्त, (आई०आर०), मुख्यालय।
6. अपर श्रमायुक्त, (कम्प्यूटर), मुख्यालय को समस्त क्षेत्रीय अपर / उप श्रम आयुक्त को ई-मेल के माध्यम से प्रेषित कराने तथा विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
7. श्री हिमायु कुमार, पुस्तकालयाध्यक्ष, मुख्यालय को अभिलेखार्थ प्रेषित।
8. समस्त प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों को जन सामान्य की जानकारी हेतु जनहित में निःशुल्क प्रकाशनार्थ।

(ए०के० गुप्ता)

उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश,
कृते श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।